प्रकरण – 263/2022 बनाम – आरवी आदि / दुनीराम आदि

8656हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 दुनीराम का 1067/5856हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 दुनीराम ने अपने उक्त हिस्सा की भूमि में से 0.6320हैक भूमि का विक्रय प्रार्थी संजय कुमार को किया जाकर अनुबध पत्र निष्पादित किया गया था किन्तु बैयनामा निष्पादन नही करवाने पर प्रार्थी संजय कुमार ने सिविल न्यायालय में बैयनामा करवाने का वाद पेश किया गया जो प्रार्थी संजय कुमार के पक्ष में निर्णित हो चुका है एव न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 दुनीराम को प्रार्थी संजय कुमार के पक्ष में बैयनामा करवाने हेतु पाबन्द भी किया जा चुका है सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से 0.6320हैक भूमि का बैयनामा करवाने का अधिकारी है अर्थात वाद भूमि में प्रार्थी संजय कुमार का हक निहित हो गया है इसलिये प्रार्थी वाद/प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार हो गया है जिसे सुना जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी संजय कुमार का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संजय कुमार को बतौर गैरसायल संख्या 5 प्रार्थना पत्र में समायोजित/बनाया जाता है लाल स्याही से अंकन किया जावे गैरसायल संख्या 1 के रजिस्टर सम्मन पूर्व में पेश हो चुके है प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित नही आये है , पत्रावली इन्तजार/कार्यवाही /जबाब गैरसायल संख्या 5 हेतु दिनांक 06.08.2024 को पेश हो।

10-7-24 वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई सायल ने निवेदन किया कि हम पक्षकारान का राजीनामा हो गया व प्रार्थनापत्र नहीं चलाना चाहते खारिज करवाते सायलान के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

प्रियंका

पक्षकार्ता Sunil

Sunil

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:30:20 IST
Reason: SelfAttested